



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230728
CG-DL-E-26102021-230728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]
No. 509]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर 2021

फा.सं.एनसीटीई-रेगु011/80/2018-एमएस(विनियमन)-मुख्यालय.-राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32 की उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन - (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधित विनियम, 2021 कहलाएंगे।
2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 (यहां प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित) में खंड (ग) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

“(गक) “बहु-विषयक संस्थान” का अर्थ एक विधिवत मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान है जिसमें अध्ययन के कई अलग-अलग विषय शामिल हैं / एक से अधिक विषयों को सम्मिलित करना या शामिल करना हैं। बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के अलावा, अन्य विभागों या स्वतंत्र कला या मानविकी या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या गणित के क्षेत्र के सहयोग से एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाएगा, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए आवेदन करते समय, जैसा भी मामला हो।

(गख) “एनईपी 2020” का अर्थ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. मूल विनियम में, विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“9. मानदंड और मानक— तालिका में दिखाए गए निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रत्येक संस्थान को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में निर्दिष्ट विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंडों और मानकों का पालन करना होगा :

क्र. सं.	मानदंड और मानक	परिशिष्ट सं.
1.	प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा जिससे स्कूल-पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट-1
2.	प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जिससे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट-2
3.	प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम से प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-3
4.	शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-4
5.	शिक्षा स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिससे शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट 5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, कार्यक्रम जिससे शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) का प्राप्त होता है।	परिशिष्ट -6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम जिससे शारीरिक शिक्षा स्नातक में (बी.पी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-7
8.	शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, जिससे शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-8
9.	मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम जिससे प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.ई.एल.एड.) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट-9
10.	मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षण प्रणाली के द्वारा शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट 10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) कार्यक्रम, जिससे कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट-11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) कार्यक्रम, जिससे कला शिक्षा में डिप्लोमा (प्रदर्शन कला) प्राप्त होता है।	परिशिष्ट-12
13.	शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक), जिससे शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-13
14.	बी.एड. एम.एड (3 साल का एकीकृत) कार्यक्रम, जिससे बी.एड.एम.एड. (एकीकृत) की उपाधि प्राप्त होती है।	परिशिष्ट-14
15.	एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)	परिशिष्ट-15

”

5. मूल विनियमों में,—

(i) परिशिष्ट-13 को हटाया जाएगा;

(ii) परिशिष्ट 14 और 15 को परिशिष्ट-13 और परिशिष्ट-14 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और परिशिष्ट-13 और परिशिष्ट 14 के बाद इस प्रकार पुनःसंख्यांकित किया जाएगा, अर्थात: —

4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना:

1.1 अध्यापक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। आईटीईपी सीनियर सेकेंडरी (+2) या इसके समकक्ष परीक्षा के बाद या स्कूली शिक्षा के एनईपी 2020 संरचना 5+3+3+4 के अनुसार संचालित किया जाएगा। यह शिक्षकों को सशक्त बनाने और यथासंभव प्रभावी ढंग से अपना काम करने में उनकी मदद करने के लिए सब कुछ एकीकृत करता है। इसके अलावा, विषयगत तथा व्यावसायिक ज्ञान के एकीकरण से (5+3+3+4) पर शिक्षण व्यवसाय के लिए उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली लोगों की भर्ती की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

1.2 आईटीईपी कार्यक्रम में एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा का शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन परिकल्पना के अनुसार अध्यापकों को तैयार करने पर जोर दिया गया है। देश में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए अध्यापकों को तैयार करने के अलावा, विभिन्न विषयों में प्राप्त विषयगत ज्ञान से छात्र-अध्यापकों को उनके विशिष्ट विषय (विषयों) में गहन ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो उस विषयगत धारा में उच्च अध्ययन में प्रवेश लेने और उच्च व्यावसायिक योग्यता के लिए सुनिश्चित करेगा।

1.3 आईटीईपी का उद्देश्य छात्र-अध्यापकों को एकीकृत तरीके से व्यावसायिक ज्ञान के साथ विषयगत ज्ञान प्रदान करने का दोहरा उद्देश्य है। चूंकि, यह कार्यक्रम स्नातक उपाधि (बी.एससी./बी.ए./बी.कॉम.) और अध्यापक शिक्षा डिग्री के समकक्ष होगा, इसलिए कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में दोनों उपाधियों के लिए आवश्यक विभिन्न पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल हैं।

1.4 बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तावित आईटीईपी (इसके बाद 'एचईआई' के रूप में संदर्भित) स्कूल अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपाधि योग्यता होगी। आईटीईपी एक दोहरी प्रमुख समग्र स्नातक उपाधि होगी। यह कार्यक्रम अध्यापकों को पुनर्संरचना के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना के लिए तैयार करेगा, जिससे वे माध्यमिक 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक जैसे चरणों के अनुरूप, उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकास आवश्यकताओं और हितों के लिए उत्तरदायी और प्रासंगिक बन सकेंगे।

1.5 आईटीईपी बहु और अंतर-विषयगत शैक्षणिक वातावरण में होगा और पायलट मोड में शुरू करके चरणबद्ध तरीके से इसको कार्यान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम विश्वविद्यालय/एचईआई के अन्य विभागों के मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति देगा। आईटीईपी का स्वामित्व बहु-विषयक एचईआई के शिक्षा विभाग के पास होगा। सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों (इसके बाद 'टीईआई' के रूप में संदर्भित) को आईटीईपी के संचालन के लिए पात्र बनने हेतु 2030 तक बहु-विषयक संस्थानों में परिवर्तित होने की आवश्यकता होगी।

1.6 एचईआई द्वारा शैक्षणिक वर्ष पूरा होने के 1 (एक) महीने के भीतर एनसीटीई द्वारा निर्धारित आईटीईपी के लिए विशेष रूप से तैयार प्रारूप, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। एनसीटीई द्वारा तैयार एक उपयुक्त प्रोफार्मा के आधार पर निरीक्षण भी किया जाएगा, जिससे मान्यता के विस्तार/वापसी का निर्धारण तैयार हो सकेगा।

1.7 मूल विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (5) और (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने और उनपर कारवाई करने हेतु निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाएगा। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो विनियम 5 के उप-विनियम (5) और (6) के तहत दी गई समय सीमा में उचित विचार करने और केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद छूट दी जा सकती है।

1.8 आईटीईपी को बहु-विषयक एचईआईएस/टीईआई में पायलटिंग से शुरू करके चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा और इस प्रकार एनईपी 2020 की समय सीमा के अनुसार देशव्यापी विस्तार किया जाएगा।

1.9 एनईपी 2020 के साथ संबद्ध यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता संरचना में अंतिम रूप से निर्धारित आईटीईपी में निकास प्रणाली लागू होगी।

2. अवधि और कार्य दिवस:

2.1 अवधि:

आईटीईपी चार शैक्षणिक वर्षों का होगा जिसमें इंटर्नशिप (क्षेत्र-आधारित अनुभव और अभ्यास शिक्षण) सहित आठ सेमेस्टर शामिल होंगे। कोई भी छात्र-अध्यापक जो किसी भी सेमेस्टर को पूरा करने में असमर्थ रहता है या किसी सेमेस्टर की अंतिम

परीक्षा में शामिल नहीं हो सका हो तो उसे कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम छः साल की अवधि के भीतर कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

2.2 कार्य दिवस:

(क) एक सेमेस्टर में, प्रवेश की अवधि को छोड़कर, लेकिन परीक्षाओं की अवधि सहित कम से कम 125 (एक सौ पच्चीस) कार्य दिवस होंगे।

(ख) कुल काम के घंटे कम से कम 40 (चालीस) घंटे होंगे जो एक सप्ताह के अन्तर्गत होंगे।

(ग) छात्र-अध्यापकों की न्यूनतम उपस्थिति सभी पाठ्यक्रमों में अस्सी प्रतिशत और क्षेत्र-आधारित अनुभव या स्कूल इंटरनशिप या शिक्षण अभ्यास के लिए अलग से नब्बे प्रतिशत होनी चाहिए।

3. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क:

3.1 दाखिला क्षमता :

क) मूल इकाई के कार्यक्रम में प्रत्येक में पचास छात्र शामिल होंगे।

ख) संस्थान को कला वर्ग या विज्ञान वर्ग या वाणिज्य वर्ग में से एक या अधिक वर्ग चुनने की अनुमति होगी। उपयुक्त होने पर संस्थान को एक या अधिक इकाइयों को चुनने की भी अनुमति दी जाएगी, यदि संस्थान इसके लिए पात्र है।

3.2 पात्रता:

क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष (5+3+3+4 पद्धति के तहत) में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र हैं।

ख) सीनियर सेकेंडरी या प्लस टू परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा (5+3+3+4 पद्धति के तहत) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कोई भी अन्य वर्ग के लिए आरक्षण में अंकों के प्रतिशत में छूट केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों के अनुसार होगी, जहां लागू हो।

3.3 प्रवेश प्रक्रिया:

क) आईटीईपी में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (इसके बाद एनटीए के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित एक उपयुक्त विषय और योग्यता परीक्षा के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।

ख) एनईपी 2020 की संस्तुतियों के तहत 4 वर्षीय आईटीईपी में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (बाद में 'एनसीईटी' के रूप में संदर्भित) नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का तरीका ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित/बहुभाषी पद्धति में (बाद में 'सीबीटी' के रूप में संदर्भित) और इसका स्कोर प्रवेश सुरक्षित करने के लिए योग्यता-आधारित चयन के लिए अभ्यर्थी के सापेक्ष योग्यता स्तर को प्रदर्शित करेगा। एनटीए द्वारा स्कोरकार्ड तैयार किया जाएगा और प्रवेश केंद्रीकृत ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।

ग) कार्यक्रम में प्रवेश के समय, अभ्यर्थी को विषयों/विषयवर्गों (बी.ए. बी.एड./बी.एससी. बी.एड./बी.कॉम. बी.एड.) का संकेत देना होगा। विषय के चयन में कोई भी परिवर्तन कार्यक्रम के प्रारंभ होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाएगा।

3.4 शुल्क:

संस्थान केवल वही शुल्क लेगा जो संबद्ध निकाय या राज्य सरकार या संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (शिक्षण शुल्क के विनियमन के लिए दिशानिर्देश और गैर-सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित अन्य शुल्क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। विनियम, 2002 और छात्रों से अंशदान, कैपिटेशन शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।

4. पाठ्यचर्या और कार्यक्रम कार्यान्वयन:

4.1 पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का कार्यान्वयन एनसीटीई द्वारा विकसित मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या पर आधारित होगा। हालांकि, इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मॉडल/सूचनात्मक पाठ्यचर्या को अनुकूलित या संशोधित करते समय 30 प्रतिशत न्यूनता की अनुमति होगी। तथापि, एनसीटीई

के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि आवश्यक समझे तो किसी भी स्तर पर इस प्रकार अनुकूलित या संशोधित पाठ्यचर्या में किसी भी संशोधन को वैधित किया जा सकता है। पाठ्यचर्या संरचना और महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ताकि मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान (एच ई आई)/सम्बद्धकारी संस्था उसको उपयोग में ला सकें।

4.2 एचईआई को आईटीईपी के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

(क) स्कूल कैलेंडर तैयार करना जिसमें स्कूल इंटर्नशिप और स्कूल से संबंधित अन्य अभ्यास स्कूल के अकादमिक कैलेंडर के साथ समकालिक किए जाते हैं।

(ख) 18 सप्ताह की इंटर्नशिप के स्कूल की सम्बद्धता के लिए आवश्यक अन्य व्यावहारिक गतिविधियों पर्याप्त स्कूलों के साथ, की व्यवस्था करना। ये स्कूल प्राथमिकता से सरकारी स्कूल होंगे और अध्ययन के पूरे कार्यक्रम में सभी व्यावहारिक गतिविधियों और संबंधित कार्यों के लिए बुनियादी संपर्क बिंदु होंगे। विभिन्न एचईआई को स्कूलों के आवंटन के लिए राज्य शिक्षा प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) क्षेत्र के स्कूलों और एचईआई के बीच एक समन्वय तंत्र सुनिश्चित करना। सरकार को स्कूल कैलेंडर के अनुरूप विभिन्न स्कूलों में छात्र-अध्यापकों का तर्कसंगत और उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि स्कूल सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके।

(घ) स्कूल इंटर्नशिप से संबंधित प्रक्रियाओं में, इंटर्नशिप स्कूलों के स्कूली अध्यापकों को शामिल करने के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना। इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक अभिविन्यास की योजना बनाई जा सकती है, जहां संस्थान/कॉलेज/विभाग के संकाय स्कूल अध्यापकों (संरक्षक अध्यापकों) के साथ विचार-विमर्श करते हैं।

(ङ) कई दिनों के पूरे कार्यक्रम में क्षेत्र में कम से कम 6 सप्ताह तक काम सुनिश्चित करना। इसमें शिक्षण और प्रतिक्रिया आदि के अनुभव के साथ-साथ स्कूल और कक्षा की एक एकीकृत तस्वीर और धारणा विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूलों में 4 सप्ताह की व्यस्तता और समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए 2 सप्ताह का कार्यक्रम शामिल होगा।

(च) छात्र-अध्यापकों और संकाय के लिए सेमिनार, वाद-विवाद, व्याख्यान और सामूहिक चर्चा का आयोजन करके शिक्षा पर गहन विमर्श शुरू करना।

(छ) शैक्षिक महत्व के विषयों पर विभिन्न कॉलेजों के बीच छात्र-अध्यापकों के लिए अंतर-संस्थागत विचार-विमर्श का आयोजन और अन्य संस्थानों में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी।

(ज) छात्र-अध्यापकों को कौशल-उन्मुख पाठ्यक्रमों में चिंतनशील सोच और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में मदद करने के लिए एक सहभागी शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना।

(झ) छात्र-अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक पत्रिकाओं और अवलोकन रिकॉर्ड सुगम बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना जो चिंतनशील सोच के अवसर प्रदान करते हैं।

(ट) छात्र अध्यापकों द्वारा तैयार की गई योजना, अवलोकन कार्यक्रम, प्रतिक्रिया और प्रतिबिंबित रिपोर्ट के रिकॉर्ड बनाए रखना।

(ठ) संकाय विकास के लिए अवसर प्रदान करना और संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करना। संकाय को शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने और अनुसंधान करने के लिए विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.3 आकलन और मूल्यांकन:-

एनसीटीई द्वारा विकसित सुझावयुक्त पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार मूल्यांकन पद्धति का अनुपालन किया जाएगा।

5. स्टाफ

5.1 संकाय:

पचास छात्रों की एक बुनियादी इकाई और एक सौ छात्रों की दो इकाइयों के लिए, निर्दिष्ट आवश्यक और वांछनीय योग्यता और विशेषज्ञता के साथ, पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की भर्ती की जाएगी। अतिरिक्त संकाय की नियुक्ति उन प्रावधानों के अन्तर्गत की जाएगी जो नीचे उल्लिखित पाठ्यचर्या क्षेत्रों के लिए संकाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

एक इकाई के लिए विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में न्यूनतम संकाय का वितरण और लागू धाराओं के लिए 4 वर्षीय आईटीईपी की दो इकाइयां:

क्र. सं.	पदनाम	विज्ञान				मानविकी				वाणिज्य			
		एक इकाई		दो इकाई		एक इकाई		दो इकाई		एक इकाई		दो इकाई	
1.	विभागाध्यक्ष (शिक्षा में प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर)	एक											
2.	सहायक प्रोफेसर (स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र / शैक्षिक अध्ययन में)	1. गणित	एक	1. गणित	दो	1. इतिहास	एक	1. इतिहास	दो	1. अकाउंटेंसी	एक	1. अकाउंटेंसी	दो
3.		2. भौतिकी	एक	2. भौतिकी	दो	2. भूगोल	एक	2. भूगोल	दो	2. व्यापार अध्ययन	एक	2. व्यापार अध्ययन	दो
		3. रसायन विज्ञान	एक	3. रसायन विज्ञान	दो	3. राजनीति विज्ञान	एक	3. राजनीति विज्ञान	दो	3. अर्थशास्त्र	एक	3. अर्थशास्त्र	दो
		4. जीव विज्ञान / जीवन विज्ञान / जैव विज्ञान	एक	4. जीव विज्ञान / जीवन विज्ञान / जैव विज्ञान	दो	4. अर्थशास्त्र	एक	4. अर्थशास्त्र	दो	4. सूचना विज्ञान अभ्यास / गणित	एक	4. सूचना विज्ञान अभ्यास / गणित	दो
		5. वनस्पति विज्ञान / जीवन विज्ञान / जैव विज्ञान	एक	5. वनस्पति विज्ञान / जीवन विज्ञान / जैव विज्ञान	दो	5. अंग्रेजी / हिन्दी / आ.भा.भा.	एक	5. अंग्रेजी / हिन्दी / आ.भा.भा.	दो	5. अंग्रेजी / हिन्दी / आ.भा.भा.	एक	5. अंग्रेजी / हिन्दी / आ.भा.भा.	दो
		6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय सक्रिय कौशल	एक	6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	6. अंग्रेजी में सम्प्रेषणीय कौशल	एक
		7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषा में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल	एक	7. आ.भा.भा. / शास्त्रीय भाषाओं में सम्प्रेषणीय कौशल	एक
		8. शैक्षिक अध्ययन	दो	8. शैक्षिक अध्ययन	तीन	8. शैक्षिक अध्ययन	दो	8. शैक्षिक अध्ययन	तीन	8. शैक्षिक अध्ययन	दो	8. शैक्षिक अध्ययन	तीन
4.	स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा	एक (अंशकालिक)											
5.	कला शिक्षा	एक (अंशकालिक)											
6.	कैरियर मार्गदर्शन तथा परामर्श	एक (अंशकालिक)											

दो इकाइयों से अधिक की अतिरिक्त इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता निम्नानुसार होगी: —

- (i) तीन इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता एक एकल इकाई (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर) के लिए निर्धारित संकाय की उपयुक्त संख्या तक बढ़ाई जाएगी। चार इकाइयों के लिए, संकाय की आवश्यकता दो इकाइयों के लिए संकाय की आवश्यकता से एकदम दोगुनी है (क्रम संख्या 1,3,4 और 5 को छोड़कर)।
- (ii) उपरोक्त न्यूनतम आवश्यक मुख्य संकाय है जिसे कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया जाना है। हालांकि, संस्थान में मौजूदा संकाय की सेवाओं का भी इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयोग किया जा सकता है यदि उसके पास निर्धारित योग्यता है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या से अधिक, किसी भी अतिरिक्त संख्या में संकाय नियुक्त किया जा सकता है।
- (iii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए संकाय यदि उपलब्ध हो, तो संस्थान में साझा किया जा सकता है या अन्यथा अंशकालिक भर्ती की जा सकती है।
- (iv) इस उद्देश्य के लिए नियुक्त परामर्शदाता या तो शिक्षा में सहायक प्रोफेसर होगा, जिसके पास स्नातकोत्तर स्तर पर एक पेपर के रूप में मार्गदर्शन और परामर्श से सम्बन्धित होगा या मार्गदर्शन और परामर्श में उपयुक्त योग्यता के साथ अंशकालिक परामर्शदाता होगा।
- (v) इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय या कॉलेज के अन्य विभागों में मौजूदा भौतिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति होगी।

5.2 अर्हताएं :

संकाय के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी: —

क. शिक्षा में प्रोफेसर या शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष के रूप में):

- (i) विज्ञान या गणित या सामाजिक विज्ञान या वाणिज्य या भाषा में स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) एम.एड.
- (iii) शिक्षा के क्षेत्र में पीएच.डी.
- (iv) प्रोफेसर के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थान में दस साल और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आठ साल का शिक्षण अनुभव।
- (v) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य प्रासंगिक अर्हता।

वांछित:

शैक्षिक प्रशासन या मार्गदर्शन में डिप्लोमा या डिग्री।

ख. सहायक प्रोफेसर— स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र में:

- (i) विज्ञान (भौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव विज्ञान) या गणित या सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र) या भाषाएँ (अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएँ या शास्त्रीय भाषाएँ या वाणिज्य संबद्ध विषय) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।
- (ii) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बी.एड. उपाधि।
- (iii) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि?

वांछित:

- (i) एम.एड. या विशेषज्ञता के साथ एम.एड.
- (ii) शिक्षा में पीएच.डी.

ग. शैक्षिक अध्ययन में सहायक प्रोफेसर:

- (i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.एड.)
- (ii) इन श्रेणियों के पदों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य योग्यता।

वांछित:

- (i) मनोविज्ञान या दर्शनशास्त्र या समाजशास्त्र या उनके संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि।

घ. विशेष पाठ्यक्रम:

शारीरिक शिक्षा:

- (i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी. एड.)

कला शिक्षा:

- (i) न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ निष्पादन या दृश्य कला में स्नातकोत्तर डिग्री।

5.3 प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्मचारी:

- (क) सहायक लाइब्रेरियन — एक
 (ख) कंप्यूटर लैब सहायक — एक
 (ग) डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) — एक
 (घ) मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) — एक
 (ङ) मौजूदा विभागों के लिए काम कर रहे अन्य प्रशासनिक और व्यावसायिक कर्मचारियों को साझा किया जाएगा।

ध्यान दें:

1. उपरोक्त सभी कर्मचारियों को मौजूदा पाठ्यक्रमों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
2. समकक्ष पदों के लिए योग्यताएं राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या संबद्ध निकाय द्वारा निर्धारित किए जाने के अनुसार होंगी।

5.4 स्टाफ की सेवा की शर्तें और उपबंध: चयन प्रक्रिया, वेतन बैंड या वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभों सहित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें और उपबंध केंद्र सरकार या राज्य सरकार की या संबद्ध निकाय या विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार होंगी।

6. बुनियादी सुविधाएं:

एक इकाई के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होंगी। तथापि, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए सुविधाओं में आनुपातिक रूप से वृद्धि होगी:—

6.1 भूमि और भवन

(क) आईटीईपी को संचालित करने वाले संस्थान के लिए न्यूनतम आवश्यक स्थान में एक प्रशासनिक विंग, एक अकादमिक विंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सभी स्थान समावेशी, और बाधा-मुक्त व सुगम होने चाहिए।

(ख) संस्थान 3000 वर्ग मीटर (तीन हजार वर्ग मीटर) पूर्ण रूप से सीमांकित भूमि निर्धारित करेगा जो प्रारंभिक प्रविष्ट पचास छात्रों के लिए तथा 2000 वर्गमीटर (दो हजार वर्ग मीटर) सीमांकित निर्मित क्षेत्र होगा और शेष स्थान लॉन, खेल के मैदान आदि के लिए होगा।

(ग) पचास छात्रों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए 200 वर्गमीटर का एक अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। (दो सौ वर्ग मीटर)।

(घ) संस्थान द्वारा कम से कम चार शौचालय ब्लॉक निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें से दो छात्रों के लिए (महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रत्येक के लिए एक) और दो दिव्यांग व्यक्तियों सहित स्टाफ सदस्यों के लिए निर्धारित किए जाएंगे। खुले क्षेत्र में चार नलों वाला एक सामान्य हाथ धोने का स्थल उपलब्ध कराया जाएगा।

6.2 निर्देशात्मक सुविधाएं:

(क) कक्षाएं: संस्थान में प्रत्येक कक्षा के लिए 500 वर्ग फुट (पांच सौ वर्ग फुट) के क्षेत्र के साथ एक इकाई के लिए छः कक्षाएं निर्धारित होंगी और दो इकाइयों या अधिक के लिए कक्षाओं की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(ख) पुस्तकालय:

(i) पुस्तकालय कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसमें न्यूनतम 1000 (एक हजार) शीर्षकों और 4000 (चार हजार) पुस्तकों से सुसज्जित कम से कम पचास व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। इनमें अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें, कार्यक्रम में वर्णित दृष्टिकोण से संबंधित अध्ययन और साहित्य शामिल हैं। शैक्षिक विश्वकोश, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और डिजिटल या ऑनलाइन संसाधन और न्यूनतम पांच सन्दर्भ व्यावसायिक शोध पत्रिकाएं होनी चाहिए। संस्थान प्रासंगिक और पर्याप्त संसाधन सामग्री के साथ डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करेंगे।

(ii) पुस्तकालय संसाधनों में रा.अ.शि.प, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और अन्य वैधानिक निकायों, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट और नीति दस्तावेजों द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकें और पत्रिकाएं शामिल होंगी। प्रत्येक वर्ष पुस्तकालय में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों के कम से कम एक सौ शीर्षक जोड़े जाएंगे। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के उपयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर भी उपलब्ध होगा।

(ग) प्रयोगशालाएं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जैसे विज्ञान वर्ग वाले विषयों के लिए प्रयोगशालाओं को प्रयोग करने के लिए सुविधाओं और पर्याप्त उपकरणों के साथ निर्धारित किया जाएगा। मानविकी वर्ग में भूगोल के लिए एक प्रयोगशाला निर्धारित की जाएगी।

(घ) गतिविधि-सह संसाधन केंद्र:

(i) इस प्रकार निर्दिष्ट स्थान का उपयोग विभिन्न गतिविधियों जैसे शिल्प, शैक्षिक खिलौने, शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण और शिक्षण सामग्री के सृजन आदि के संचालन के लिए किया जाएगा। अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी सुविधाएं होंगी जो अध्यापक-छात्र को अनुभवात्मक अधिगम और शिक्षण कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रदर्शन का व्यावहारिक अनुभव देती हैं।

(ii) यह संसाधन केंद्र फोटोकॉपी मशीन, ऑडियो वीडियो उपकरण, टेलीविजन, प्रोजेक्टर आदि जैसी सुविधाओं से लैस होगा।

(iii) इस केंद्र में एक कंप्यूटर और भाषा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

(ड) **स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्ष:** सामान्य इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए पर्याप्त क्रीड़ा और खेल उपकरण, साथ ही योग शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

(च) **बहु-उद्देश्यीय हॉल:** संस्थान में न्यूनतम दो सौ सीटों की बैठने की क्षमता वाला एक निर्धारित हॉल और न्यूनतम कुल 2000 वर्ग फुट (दो हजार वर्ग फुट) का होगा। यह हॉल दृश्य-श्रव्य प्रणाली की स्थापना के साथ सेमिनार और कार्यशाला आयोजित करने के लिए सुसज्जित होगा।

(छ) **संकाय कक्ष:** संकाय के लिए अलग-अलग कार्यस्थल, क्रियाशील कंप्यूटर और भंडारण स्थल उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ज) **प्रशासनिक कार्यालय स्थान:** संस्थान कार्यालय के कर्मचारियों के लिए फर्नीचर, भंडारण और कंप्यूटर सुविधाओं के साथ पर्याप्त कार्य स्थल प्रदान करेगा।

(झ) **कॉमन कक्ष:** संस्था कम से कम एक कॉमन रूम उपलब्ध कराएगी।

(ट) **स्टोर:** भंडारण के लिए पर्याप्त जगह के साथ एक कमरा उपलब्ध कराया जाएगा।

(ठ) सामान्य और अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ढ) परिसर की नियमित सफाई, पानी और शौचालय की सुविधा, फर्नीचर और अन्य उपकरणों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

(त) संस्थान में छात्र-शिक्षकों द्वारा अवधारणाओं को सीखने के लिए किचन गार्डन का विकास और रखरखाव किया जाना चाहिए।

(थ) वर्षा जल संचयन प्रणाली और अक्षय ऊर्जा के लिए बुनियादी संरचना जैसे बिजली के लिए सौर पैनल।

(द) रुचिकर सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं।

6.3 अन्य विभागों या विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में मौजूदा भौतिक संसाधनों को इस कार्यक्रम के साथ साझा किया जा सकता है, यदि इससे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति होती है।

वांछित:

(क) ऊर्जा-कुशल भवन डिजाइन (जैसे जैव-जलवायु वास्तुकला, उच्च प्रदर्शन वाली इमारत का आवरण, उच्च प्रदर्शन-नियंत्रित वेंटिलेशन आदि)

(ख) ऊर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के नए तरीके और अपशिष्ट प्रबंधन निपटान प्रणाली स्थापित करना।

6.4 संस्थान को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

7. प्रबंध समिति : संस्थान में संबद्ध विश्वविद्यालय या संबंधित राज्य सरकार, यदि कोई हो, के नियमों के अनुसार गठित एक प्रबंध समिति होगी। ऐसे नियमों के अभाव में संस्था स्वयं एक प्रबंध समिति का गठन करेगी।

समिति में प्रायोजक सोसायटी या ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, संबद्ध विश्वविद्यालय/निकाय के प्रतिनिधि और कर्मचारी शामिल होंगे।

8. विनियम के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी तरह के विवाद या असंगति होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण में विनियम मान्य होगा।

(i) परिशिष्ट-16 को हटा दिया जाएगा।

(ii) परिशिष्ट-17 को हटा दिया जाएगा।

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./378/2021]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग III खंड 4 दिनांक 1 दिसंबर 2014 में अधिसूचना संख्या एफ 51-1/2014-एनसीटीई (एन एंड एस) दिनांक 28 नवंबर 2014 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार फा.सं. एनसीटीई-रेगु.10122/8/2020 यू एस(रेगु.) एच.क्यू., दि. 14 अक्टूबर 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

F. No. NCTE-Regl011/80/2018-MS(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 32 of National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments in the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely: -

1. **Short title and Commencement** – (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Council for Teacher Education (Recognition, Norms and Procedure) Regulations, 2014 (herein referred to as Principal Regulations) in regulation 2 after clause (c) the following clauses shall be inserted namely: -

“(ca) “multidisciplinary institution” means a duly recognised higher education institution involving several different subjects of study/ combining or involving more than one discipline. Multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education departments, which besides carrying out cutting edge research in various aspects of education, will also run Integrated Teacher Education Programme, in collaboration with other departments or field of liberal arts or humanities or social sciences or commerce or mathematics, as the case may be, at the time of applying for recognition of Integrated Teacher Education Programme.

(cb) “NEP 2020” means the National Education Policy 2020 which was approved by the Union Cabinet of India on 29 July 2020.”

4. In the Principal Regulations, for regulation 9 the following regulation shall be substituted, namely: -

“9. **Norms and standards.**- Every institution offering the following programmes shown in the Table shall have to comply with the norms and standards for various teacher education programmes as specified in Appendix 1 to Appendix 15:

Sl. No.	Norms and Standards	Appendix No.
1.	Diploma in early childhood education programme leading to Diploma in Preschool Education (DPSE)	Appendix-1
2.	Elementary teacher education programme leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)	Appendix-2
3.	Bachelor of elementary teacher education programme leading to Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) degree.	Appendix-3
4.	Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix-4
5.	Master of education programme leading to Master of Education (M.Ed.) degree.	Appendix-5
6.	Diploma in physical education programme leading to Diploma in Physical Education (D.P.Ed.).	Appendix-6
7.	Bachelor of physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) degree	Appendix-7
8.	Master of physical education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.) degree	Appendix-8
9.	Diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)	Appendix-9
10.	Bachelor of Education Programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix-10
11.	Diploma in arts education (Visual Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Visual Arts)	Appendix-11
12.	Diploma in arts education (Performing Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (performing Arts)	Appendix-12
13.	Bachelor of education programme (Part Time) leading to Bachelor of Education (B.Ed) degree.	Appendix-13
14.	B.Ed. M.Ed (3 years integrated) programme leading to B.Ed. M.Ed (Integrated) degree.	Appendix-14
15.	Integrated Teacher Education Programme (ITEP)	Appendix-15

5. In the Principal Regulations,-

(i) Appendix-13 shall be omitted;

(ii) Appendix 14 and 15 shall be renumbered as Appendix-13 and Appendix-14 and after Appendix-13 and Appendix 14 as so renumbered the following Appendix shall be inserted, namely: -

“APPENDIX-15

Norms and Standards for Integrated Teacher Education Programme (ITEP)

1. Preamble:

1.1 The teacher must be at the centre of the fundamental reforms in the education system. The ITEP shall be offered after Senior Secondary (+2) or its equivalent examination or as per NEP 2020 structure 5+3+3+4 of schooling. It integrates everything to empower teachers and help them to do their job as effectively as possible. In addition, the integration of disciplinary and professional knowledge caters to the requirement to recruit the very best and brightest for the teaching profession at all levels (5+3+3+4).

1.2 The ITEP programme emphasizes on preparing teachers as envisaged in Pedagogical and Curricular restructuring of school education under NEP 2020. Apart from preparing teachers for the school education system in the country, the disciplinary knowledge gained in different subjects would help the student-teachers to gain in-depth knowledge in their specific subject(s) which would ensure admission to higher studies in that disciplinary stream and for higher professional qualification.

1.3 The ITEP aims at the dual purpose of providing student teachers disciplinary knowledge along with the professional knowledge in an integrated manner. Since the program will be equivalent to an Undergraduate Degree (B.Sc./B.A./ B.Com.) and Teacher Education Degree, the curriculum of this program includes different courses and activities essential for both the degrees.

1.4 The ITEP offered by multidisciplinary Higher Education Institutions (hereinafter referred to as ‘HEIs’) will be the minimal degree qualification for school teachers. The ITEP will be a dual-major holistic Bachelor’s degree. This programme will prepare teachers for the new curricular and pedagogical structure of school education as reconfigured, to make it responsive and relevant to the developmental needs and interests of learners at different stages of their development, corresponding to the stages like Fundamental, Preparatory, Middle and Secondary guided by the 5+3+3+4 design.

1.5 The ITEP shall be in multi and inter disciplinary academic environment and shall be implemented in a phase-wise manner commencing in a pilot mode. The programme shall permit sharing of existing physical resources of other departments of the university/ HEIs. The ownership of ITEP shall lie with the Education Department of the multidisciplinary HEIs. All stand-alone Teacher Education Institutions (hereafter referred to as ‘TEIs’) will be required to convert into multidisciplinary institutions by 2030 to become eligible to offer the ITEP.

1.6 The annual performance appraisal report shall be submitted by the HEIs, in the customised format for ITEP provisioned by NCTE, within 1 (one) month after completion of the academic year. Inspection shall also be conducted, based on a suitable proforma developed by NCTE, which will determine extension/ withdrawal of recognition.

1.7 The time limits prescribed for inviting and processing of applications as provided in sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 of the principal regulations shall be adhered to. If it is considered necessary, the time limits provided under sub-regulations (5) and (6) of regulation 5 may be relaxed after due consideration and after obtaining approval of the Central Government.

1.8 ITEP shall be implemented in a phase wise manner starting from piloting in multidisciplinary HEIs/TEIs and thereby country wide expansion as per NEP 2020 timeframe.

1.9 The exit system shall be applicable in ITEP as finalised in the National Higher Education Qualification Framework by UGC aligned with NEP 2020.

2. Duration and Working Days:

2.1 Duration:

The ITEP shall be of four academic years comprising eight semesters including internship (field-based experiences and practice teaching). Any student-teacher who is unable to complete any semester or appear in any semester-end examination, shall be permitted to complete the programme within a maximum period of six years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days:

- (a) In a semester, there shall be at least 125 (one hundred and twenty-five) working days, excluding the period of admissions but including the period of examinations.
- (b) Total working hours shall be a minimum of 40 (forty) hours to be spread over one week.
- (c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be eighty percent in all courses and ninety percent for field-based experience or school internship or teaching practice separately.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees:**3.1 Intake:**

- a) The basic unit shall comprise of fifty students each in the programme.
- b) The institution shall be permitted to opt for one or more streams of either Arts Stream or Science Stream or Commerce Stream. The institution shall also be permitted to opt for one or more units being appropriate, in case the institution is eligible for the same.

3.2 Eligibility:

- a) Candidates with minimum fifty percent marks in Senior Secondary or plus two examination or its equivalent (under 5+3+3+4 pattern) from a recognised board are eligible for admission.
- b) The relaxation in percentage of marks in the Senior Secondary or plus two examination or its equivalent examination (under 5+3+3+4 pattern) and in the reservation for Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Persons with Disabilities or Economically Weaker Section and any other categories shall be as per the rules of the Central Government or State Government or Union Territory Administration, wherever applicable.

3.3 Admission Procedure:

- a) Admission in ITEP shall be through a suitable subject and aptitude test conducted by the National Testing Agency (hereinafter referred to as 'NTA') and shall be standardized keeping in view the linguistic and cultural diversity of the country.
- b) A single nation-wide entrance test called National Common Entrance Test (hereinafter referred to as 'NCET') will be conducted by NTA for admission to the 4 Year ITEP under the recommendations of NEP 2020. The mode of examination shall be online/Computer Based Test (hereinafter referred to as 'CBT') in multilingual pattern and its score would reflect the relative performance level of the candidate for merit-based selection to secure the admission. Scorecard shall be prepared by NTA and admission shall be done through centralised online counselling.
- c) At the time of admission to the programme, the candidate must indicate the subjects/discipline (B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed./B.Com. B.Ed.). Any change in the choice of subjects shall be made within one month from the date of commencement of the programme.

3.4 Fees:

The institution shall charge only such fee as may be prescribed by the affiliating body or State Government or concerned Universities in accordance with provisions of the National Council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002 and shall not charge donations, capitation fee etc. from the students.

4. Curriculum and Programme Implementation:

4.1 The Curriculum and the implementation of the programme shall be based on the Model/Suggestive Curriculum developed by NCTE. However, different universities and institutions conducting this programme will be allowed upto 30% flexibility while adapting or modifying the Model/Suggestive Curriculum as per local requirements. However, NCTE reserves the right to validate any modifications to the Curriculum so adapted or modified at any stage, if felt necessary. Within a time span of 90 (ninety) days, curriculum framework and suggestive syllabus shall be uploaded on NCTE website for adoption /adaptation by the recognised HEIs/Affiliating body.

4.2 The HEIs will have to fulfill the following specific requirements for implementation of ITEP:

- (a) Preparing school calendar in which the school internship and other school related practicum are synchronized with the academic calendar of the school.

- (b) Making arrangement, with enough schools, for 18 weeks internship as well as other practicum activities required for school engagement. These schools will preferably be government schools and will form the basic contact point for all practicum activities and related work throughout the program of study. The state education administration should be involved for the allotment of schools to different HEIs.
- (c) Ensuring a coordinating mechanism between schools and HEIs of the region. The Government must ensure a rational and reasonable distribution of student-teachers in various schools, in consonance with the school calendar, to provide school support and cooperation.
- (d) Developing institutional mechanisms to involve the schoolteachers, of the Internship schools, in processes related to school internship. An orientation may be planned with the commencement of the Internship program, where faculty from the institute/college/department interacts with school teachers (mentor teachers).
- (e) Ensuring work in the field amounting to a minimum of 6 weeks, spread over several days throughout the program. This will include 4 weeks of engagements in different types of schools to develop an integrated picture and perception of school and classroom, along with experience of teaching and feedback etc., and a 2 week program for engagement with the community.
- (f) Initiating and deepening the discourse on education by organizing seminars, debates, lectures and discussion groups for student-teachers and faculty.
- (g) Organizing inter-institutional interactions for student-teachers between various colleges on themes of educational significance and participation in such events organized in other institutions.
- (h) Adopting a participatory teaching approach to help student-teachers to develop reflective thinking and critical questioning in skill-oriented courses.
- (i) Facilitating student-teachers to access quality academic journals and observation records which provide opportunities for reflective thinking.
- (j) Maintaining records of planning, observation schedules, feedback and reflective reports prepared by the student teachers.
- (k) Providing opportunities for faculty development and organizing academic enrichment programs for the professional development of faculty. Faculty shall be encouraged to participate in academic pursuits and pursue research, especially in school education.

4.3 Assessment and Evaluation: -

The evaluation pattern as per the Suggestive Curriculum Framework developed by NCTE would be followed.

5. Staff:

5.1 Faculty:

For an intake of one basic unit of fifty students and two units of one hundred students, faculty shall be recruited for the curricular areas, with the specified essential and desirable qualifications and specialisation. Additional faculty shall be appointed subject to provisions that the faculty requirements for the curricular areas mentioned below are fulfilled.

The distribution of minimum faculty across different curricular areas for one unit and two units of 4 Year ITEP for Streams as applicable:

Sl. No.	Designation	Science				Humanities				Commerce			
		One unit		Two units		One unit		Two units		One Unit		Two Units	
1.	Head of Department (in the rank of the Professor/Associate Professor in Education)	One											
2.	Assistant Professor (in Liberal Discipline and Pedagogy/Educational Studies)	1. Maths	One	1. Maths	Two	1. History	One	1. History	Two	1. Accountancy	One	1. Accountancy	Two
		2. Physics	One	2. Physics	Two	2. Geography	One	2. Geography	Two	2. Business Studies	One	2. Business Studies	Two
		3. Chemistry	One	3. Chemistry	Two	3. Political Science	One	3. Political Science	Two	3. Economics	One	3. Economics	Two
		4. Zoology/ Life Sciences/ Bio-Scien	One	4. Zoology/ Life Sciences/ Bio-Science	Two	4. Economics	One	4. Economics	Two	4. Informatics Practice/Mathematics	One	4. Informatics Practice/Mathematics	Two
		5. Botany/ Life Sciences/ Bio-Science	One	5. Botany/ Life Sciences/ Bio-Science	Two	5. English/Hindi/MIL	One	5. English/Hindi/MIL	Two	5. English /Hindi/MIL	One	5. English /Hindi/MIL	Two
		6. Communicative Skills in English	One	6. Communicative Skills in English	One	6. Communicative Skills in English	One	6. Communicative Skills in English	One	6. Communicative Skills in English	One	6. Communicative Skills in English	One
		7. Communicative skills in MIL/Classical Lang.	One	7. Communicative skills in MIL/Classical Lang.	One	7. Communicative skills in MIL/Classical Languages	One	7. Communicative skills in MIL/Classical Languages	One	7. Communicative skills in MIL/Classical Languages	One	7. Communicative skills in MIL/Classical Languages	One
		8. Educational Studies	Two	8. Educational Studies	Three	8. Educational Studies	Two	8. Educational Studies	Three	8. Educational Studies	Two	8. Educational Studies	Three
3.	Health and Physical Education	One (Part-time)											
4.	Arts Education	One (Part-time)											
5.	Career Guidance and Counselling	One (Part-time)											

For additional units over and above two units, the faculty requirement shall be as under: -

- (i) For three units, the requirement of faculty shall be increased by the exact number of faculty as is prescribed for one single unit (except Sl. No. 1,3,4 & 5). For four units, the faculty requirement is exactly double of the faculty requirement for two units (except Sl. No. 1,3,4 & 5).
- (ii) The above is the minimum essential core faculty to be appointed for the programme. However, the services of existing faculty in the institution could also be utilized for this teacher education programme if she/he possesses the prescribed qualification. Furthermore, any extra number of faculty may be appointed, over and above the minimum number prescribed for this programme.
- (iii) Faculty for health and physical education may be shared, if available, in the institution or otherwise may be recruited part-time.
- (iv) The Counsellor engaged for the purpose shall either be an Assistant Professor in Education having guidance and counselling as one of the papers at Post Graduate level or a part time Counsellor with an appropriate qualification in guidance and counselling.
- (v) The programme shall permit sharing of existing physical resources in other Departments of the University or College.

5.2 Qualifications:

The faculty shall possess the following qualifications: -

A. Professor in Education or Associate Professor in Education (as Head of the Department):

- (i) Postgraduate degree in Sciences or Mathematics or Social Sciences or Commerce or Languages.
- (ii) M.Ed.
- (iii) Ph.D. in Education
- (iv) Ten years of teaching experience in a teacher education institution for Professor and eight years for Associate Professor.
- (v) Any other relevant qualification prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

Diploma or Degree in Educational Administration or Leadership.

B. Assistant Professor –in Liberal Discipline and Pedagogy:

- (i) Post-Graduate degree in Sciences (Physics or Chemistry or Botany or Zoology or Life Sciences or Bioscience) or Mathematics or Social Sciences (History or Geography or Political Science or Economics) or Languages (English or Modern Indian Languages or Classical Languages) or Commerce allied subjects) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.
- (ii) B.Ed. degree with minimum fifty-five percent marks or equivalent grade.
- (iii) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or in the concerned subject as prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) M.Ed. or M.Ed. with Specialisation
- (ii) Ph. D in Education.

C. Assistant Professor in Educational Studies:

- (i) Postgraduate degree in Education (M.Ed.) with minimum fifty-five percent marks or equivalent grade
- (ii) With National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or any other qualification prescribed by University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) Master's degree in Psychology or Philosophy or Sociology or their allied subjects.

D. Specialised Courses:**Physical Education:**

- (i) Master of Physical Education (M.P. Ed.) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade

Art Education:

- (i) Postgraduate degree in Performing or Visual Arts with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.

5.3 Administrative and Professional Staff:

- | | | |
|---|---|-----|
| (a) Assistant Librarian | - | One |
| (b) Computer Lab Assistant | - | One |
| (c) Data Entry Operator (DEO) | - | One |
| (d) Multi-Tasking Staff (MTS) | - | One |
| (e) Other Administrative and professional staff working for existing Departments shall be shared. | | |

Note:

1. All the above staff should be shared with existing courses.
2. The qualifications shall be as prescribed by the State Government or University or affiliating body for equivalent posts.

5.4 Terms and Conditions of Service of Staff: The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay band or scale, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the Central Government or State Government or affiliating body or University.

6. Infrastructural Facilities:

The following facilities shall be for one unit. However, for every additional unit the facilities shall increase proportionately: -

6.1 Land and Building:

- (a) The minimum essential space for an institution offering the ITEP includes an administrative wing, an academic wing and other amenities. All spaces should be inclusive and have barrier free access.
- (b) The institution shall earmark 3000 sq. mts. (three thousand square metres) of well demarcated land for the initial intake of fifty students and 2000 sqm. (two thousand square metres) shall be the demarcated built-up area and the remaining space for lawns, playfields etc.
- (c) For every additional unit of fifty students, it shall earmark an additional built up area of 200 sqm. (two hundred square metres).
- (d) A minimum number of four toilet blocks shall be earmarked by the Institution, two for students (one each for women and men) and two for staff members, including persons with disabilities. One common hand washing station, with four taps, in an open area shall be provided.

6.2 Instructional Facilities:

(a) Classrooms: The Institution shall have six earmarked classrooms for one unit with an area of 500 sq. ft. (five hundred square feet) for each classroom and for two units or more the number of classrooms shall be increased proportionately.

(b) Library:

- (i) The library shall cater to the requirements of the programme and shall have a seating capacity for at least fifty persons equipped with minimum 1000 (one thousand) titles and 4000 (four thousand) books. These include text and reference books related to all courses of study, readings and literature related with the approaches delineated in the programme; educational encyclopaedias, electronic publications and digital or online resources and minimum five referral professional research journals. The institutions shall create digital library with relevant and adequate resource materials.
- (ii) Library resources shall include books and journals published and recommended by NCTE, National Council of Educational Research and Training and other statutory bodies, Education

Commission Reports and Policy documents. At least one hundred titles of quality books shall be added to the library every year. The library shall have photocopying facility and computer with Internet facility for the use of faculty and students.

- (c) **Laboratories:** Laboratories for Science stream subjects such as Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology and Botany shall be earmarked with facilities and adequate equipment for conducting experiments. In humanities stream, a laboratory for Geography shall be earmarked.
- (d) **Activity cum Resource Centre:**
- (i) The space so designated shall be used for conducting various activities like craft, educational toys, teaching aids and production of teaching and learning materials, etc. There shall be facilities for conducting other activities which give the teacher student a practical experience of exposure to experiential learning and use of Information and Communication Technology in teaching programmes.
 - (ii) This resource centre will be equipped with facilities such as photocopying machine, audio video equipment, television, projector etc.
 - (iii) A Computer and Language Lab shall be established in this Centre.
- (e) **Health and Physical Education Room:** Adequate games and sports equipment for common indoor and outdoor games, as well as facilities for yoga education, shall be available.
- (f) **Multipurpose Hall:** The institution shall have one earmarked hall with seating capacity of minimum two hundred seats and minimum total area of 2000 sq. ft (Two thousand square feet). This hall shall be equipped for conducting seminars and workshops with installation of an audio-visual system.
- (g) **Faculty Rooms:** For faculty, individual workspaces, functional computers and storage spaces shall be provided.
- (h) **Administrative Office Space:** The institution shall provide adequate working space for the office staff, with furniture, storage, and computer facilities.
- (i) **Common Room:** The institution shall provide at least one common room.
- (j) **Store:** One room with adequate space for storage shall be provided.
- (k) Functional and appropriate furniture for general and differently able persons in required number for instructional and other purposes shall be provided.
- (l) Access to safe drinking water be provided in the institution.
- (m) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities, repair and replacement of furniture and other equipment.
- (n) Kitchen garden in the institution be developed and maintained by the student-teachers in order to learn concepts.
- (o) Rainwater harvesting system and infrastructure for renewable energy such as solar panels for electricity.
- (p) Facilities for co curricular activities of choice.

6.3 The existing physical resources in other Departments or Universities or Colleges can be shared with this programme, if it fulfils the requirement of the teacher education programme.

Desirable:

- (a) Energy efficient building designs (such as bio-climatic architecture, high performing building envelop, high performance-controlled ventilation etc.)
- (b) Use of energy efficient equipment and new ways to minimize the dependency on conventional sources of energy and waste management disposal system.

6.4 The institution must adhere to safety guidelines as prescribed by National Disaster Management Authority (NDMA).

7. Managing Committee: The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules of the affiliating University or concerned State Government, if any. In the absence of such rules, the institution shall

constitute a Managing Committee on its own. The Committee shall comprise of the representatives of the sponsoring society or trust, academicians/ educationists, representatives of the affiliating University/Body and of the staff.

8. In the event of any conflict or inconsistency between English and Hindi version of the regulation, the regulation in English version shall prevail”.

(iii) Appendix-16 shall be omitted;

(iv) Appendix-17 shall be omitted.

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./378/2021]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, *vide* notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F.NCTE-Regl0122/8/2020-US (Regulation)-HQ, dated the 14th October,2021.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102022-239741
CG-DL-E-19102022-239741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]
No. 526]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2022

फा.सं. एनसीटीई—रेगु.022/5/2021—ओ/ओ डीएस(विनियम)—मुख्या.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 12 के खंड (झ) के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन.— (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड तथा प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, परिशिष्ट 15 में, विनियम 5 में,

(क) उप विनियम 5.1 में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:—

“(vi) निम्नलिखित संस्थान एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में किसी अन्य संस्थान या बहु-विषयक संस्थान या विश्वविद्यालय के साथ संकाय साझा करेंगे।

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान;

(ग) भारतीय विज्ञान संस्थान तथा;

(घ) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान।”

(ख) उप-विनियम 5.2 में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“ख क. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संकाय के मामले में, स्वतंत्र विषय और शिक्षाशास्त्र में सहायक प्रोफेसर की योग्यताएं निम्नानुसार होंगी :—

(i) विज्ञान (भौतिकी या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या जीवन विज्ञान या जैव विज्ञान) या गणित या सामाजिक विज्ञान (इतिहास या भूगोल या राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र) या भाषाएं (अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषाएं या शास्त्रीय भाषाएं या वाणिज्य से सम्बन्धित विषय) में न्यूनतम पचपन प्रतिशत अंकों या इसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।

(ii) इन श्रेणियों के पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या शिक्षा में या संबंधित विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि।

वांछित:

(i) बी.एड. या एम.एड. अथवा विशेषज्ञता के साथ एम.एड.

(ii) शिक्षा में पीएच. डी।”

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./346/2022-23]

नोट:

मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग— III, खंड 4, दिनांक 1 दिसंबर, 2014 में अधिसूचना संख्या एफ. 51-1/2014/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 28 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या एफ.एनसीटीई-रेगु.1012/13/2021- विनियमन अनुभाग-मुख्यालय, दिनांक 05 मई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2022

F. No. NCTE-Regl.022/5/2021-O/o DS(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 32 read with clause (i) of section 12 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Second Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, (hereinafter referred to as the said regulations), in Appendix-15, in regulation 5, in sub-regulation 5.1, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:—

“(vi) In case of Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research, the programme shall permit sharing of faculty with another institution or multidisciplinary institution or University.”

3. In the said regulations, in Appendix-15, in regulation 5, in sub-regulation 5.2, after clause (B.), the following clause shall be inserted, namely:—

“BA. In case the faculty is from the Indian Institute of Technology, National Institute of Technology, Indian Institute of Science and Indian Institute of Science Education and Research, the qualifications of Assistant Professor—in Liberal Discipline and Pedagogy, shall be as under:

(i) Post-Graduate degree in Sciences (Physics or Chemistry or Botany or Zoology or Life Sciences or Bioscience) or Mathematics or Social Sciences (History or Geography or Political Science or Economics) or Languages (English or Modern Indian Languages or Classical Languages) or Commerce allied subjects) with minimum fifty-five percent marks or its equivalent grade.

- (ii) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or Doctor of Philosophy in Education or in the concerned subject as prescribed by the University Grants Commission for these categories of posts.

Desirable:

- (i) B.Ed. or M.Ed. or M.Ed. with Specialisation
(ii) Ph. D in Education.”

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./346/2022-23]

Note:

The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, *vide* notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F. No NCTE-Regl012/13/2021- Reg. Sec.-HQ., dated the 5th May, 2022.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012024-251658
CG-DL-E-31012024-251658

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 2024/माघ 10, 1945

No. 64]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 2024/MAGHA 10, 1945

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2024

फा.सं. एनसीटीई.रेगु.022/16/2023—विनि.अनु.मुख्यालय.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तन—(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 कहलाएंगे।

(2) इन्हें 26 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट-15 में अनुच्छेद 6 के बाद, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“6क. जिन संस्थानों को, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एनसीटीई—रेगु011/80/2018—एमएस(विनियमन)—मुख्यालय द्वारा इसके हटाए जाने से पूर्व, हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता प्रदान की गई है, वह जारी रहेगी और उन्हें इस शर्त के अधीन छात्रों को नामांकित करने की अनुमति दी जाएगी कि वे शैक्षणिक सत्र 2025—2026 की शुरुआत से पहले दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2021 के अनुसार नए एकीकृत

अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाएंगे। हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम, शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से बंद कर दिया जाएगा और हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत 4-वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम संचालित करने वाले किसी भी मौजूदा संस्थान को नए दाखिले करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./719/2023-24]

विवरणात्मक ज्ञापन:—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के परिशिष्ट-13 में उल्लिखित बी.एससी.बी.एड./बी.ए.बी.एड कार्यक्रम के लिए मानदंडों व मानकों को दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना सं: एनसीटीई.रेगु011/80/2018-एमएस(विनियमन)-मुख्यालय द्वारा हटा दिया गया था, जिसे दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया था। तथापि, जिन संस्थानों को उक्त परिशिष्ट-13 को हटाए जाने से पूर्व, इसके अंतर्गत पहले से ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त कार्यक्रम के संचालन के लिए मान्यता दी गई थी, वे इसे हटाए जाने के बाद भी इसे संचालित करना जारी रख सकते थे।

वर्तमान अधिसूचना को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी करने पर, किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह उन छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो हटाए गए परिशिष्ट-13 के अंतर्गत पहले ही नामांकन करा चुके हैं और अपना पाठ्यक्रम जारी रखे हुए हैं।

टिप्पणी:—दिनांक 28 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या एफ.51-1/2014/एनसीटीई (एनएंडएस) द्वारा मूल विनियम, दिनांक 01 दिसंबर, 2014 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड-4 में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एनसीटीई.रेगु022/5/2021-कार्यालय डीएस(विनियमन)-मुख्यालय द्वारा संशोधित किए गए थे।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2024

F. No. NCTE-Regl.022/16/2023-Reg.Sec.-HQ.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 26th October, 2021.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, in Appendix-15, after paragraph 6, the following paragraph shall be inserted, namely:-

“6A. The institutions which have been granted recognition for conducting 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under the omitted Appendix-13 prior to its omission *vide* Gazette Notification No: NCTE-Regl011/80/2018-MS(Regulation)-HQ, dated the 22nd October, 2021 shall continue and they shall be allowed to enroll students subject to the condition that they shall transit to the new Integrated Teacher Education Programme in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Amendment Regulations, 2021 dated the 22nd October, 2021 before the start of the academic session 2025-2026. 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under the omitted Appendix-13 shall be discontinued from the academic session 2025-2026 and no fresh admissions shall be allowed to any of the existing institutions conducting 4-year Integrated B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme under omitted Appendix-13.”

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./719/2023-24]

Explanatory Memorandum:—The Norms and Standards for B.Sc.B.Ed./B.A.B.Ed. programme mentioned in Appendix-13 of the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 were omitted *vide* Notification No: NCTE-Reg1011/80/2018-MS (Regulation)-HQ, dated the 22nd October, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 26th October, 2021. However, the institutions which were already recognised under the said Appendix-13 prior to its omission by the National Council for Teacher Education for conducting the said programme might have continued to offer it after the omission also.

By giving retrospective effect to the present notification, no one shall be adversely affected and it will be beneficial for those students who have already enrolled under the omitted Appendix-13 and continuing their course.

Note:—The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, *vide* notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended *vide* notification number F. No. NCTE-Reg1022/5/2021-O/o DS(Regulation)-HQ., dated the 19th October, 2022.